

प्रेसनोट दिनांक 11.06.2022

1. दिनांक 10.06.22 को वादी श्री राजयादव पुत्र रामकदम नि० ठकुराईन गंगरेवा थाना मुसाफिरखाना अमेठी। द्वारा सूचना दिया गया कि हरिप्रसाद पुत्र लाला नि० सोखावा थाना पूराकलन्दर अयोध्या। गिर० अभि० द्वारा 03 अदद जग लोहे का, 05 अदद यू जग, 02 अदद क्रेसिंग, 01 अदद कपलर, 01 अदद ज्वाइन्टर चोरी करना तथा पकड़े जाना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 276/22 धारा 379, 411 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 10.06.22 को वादी उ०नि० श्री मनोज कुमार प्रजापति थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि लवकुश मिश्रा पुत्र कालीप्राद नि० बिहारीपुर टोनिया थाना पूराकलन्दर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से संरक्षित कटा हुआ 04 अदद बोटा गूलर की लकड़ी बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 277/22 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 10.06.22 को वादी उ०नि० मुन्नीलाल चौधरी थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सचिन सिंह पुत्र संतोष सिंह नि० कल्याणपुर थाना महाराजगंज अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 215/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 10.06.22 को वादी उ०नि० श्री विजय कुमार थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रंजीत कुमार निषाद पुत्र रामभवन नि० ड्योढी बाजार थाना रौनाही अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 45 लीटर कच्ची शराब नाजायज व बनाने के उपकरण बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 183/22 धारा 60(2) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 10.06.22 को वादी आरक्षी सचिन सिंह थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि भरतराम पुत्र रामउजारे नि० रामपुर पेरई थाना को०बीकापुर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 222/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 10.06.22 को वादी श्री नीरज सिंह पुत्र जयकरन सिंह नि० रामदासपुर थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दिनेश सिंह पुत्र धीरेन्द्र बहादुर नि० रामदासपुर थाना तारुन अयोध्या। आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा मनरेगा मजदुरो को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 144/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 10.06.22 को वादी श्री धर्मराज पुत्र बीरबली नि० कुड़वा थाना कुमारगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मनीराम पुत्र मंगरू नि० पूरेलाल खा थाना कुमारगंज अयोध्या। आदि 06 नफर अभि०गण द्वारा एक राय होकर वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 135/22 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 10.06.22 को वादी श्री ध्रुवकुमार पुत्र मनीराम मिश्र नि० गोड़वा थाना शुक्ल बाजार अमेठी। द्वारा सूचना दिया गया कि इजहार पुत्र नामदार नि० लिलहा रसूलपुर। वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पुत्र को टक्कर मारकर घायल कर देना जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 137/22 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 10.06.22 को वादी श्री जयशंकर पुत्र पन्नालाल नि० रिसाल का पुरवा थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि हरिशंकर पुत्र पन्नालाल नि० रिसाल का पुरवा थाना मवई अयोध्या। आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 149/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 10.06.22 को वादी उ०नि० अरुण कुमार सिंह थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि। कील पुत्र कुतुन नि० हलीम नगर थाना को०रुदौली अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 107/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।